**न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बागपत।**

**पीठासीन अधिकारी**- मीनू शर्मा , **(उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP-5951,**

UPBG010038942023

**जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1116/2023,**

**कम्प्यूटर जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-2249/2023,**

लाला आयु करीब 22 वर्ष पुत्र रोहताश, निवासी ग्राम-बडावद, थाना-बिनौली, जनपद-बागपत।

..... प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

राज्य सरकार ..... विपक्षी।

अपराध संख्या-513/2023,
धारा-420, 414, 417 भा०दं०सं०
थाना- बड़ौत, जिला-बागपत।

**दिनॉकः 07/08/2023**

प्रार्थी/अभियुक्त **लाला** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ **श्रीमती राजेश पत्नी रोहताश** का शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि उक्त प्रकरण के संबंध में प्रार्थी/अभियुक्त का माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। किसी अन्य न्यायालय में उसका कोई जमानत प्रार्थनापत्र विचाराधीन नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी उपनिरीक्षक पुष्पेणदत्त शर्मा ने दिनांक 22.07.2023 को 12:35 बजे थाना-बड़ौत पर फर्द बरामदगी के आधार पर इस आशय की रिपोर्ट पंजीकृत करायी कि दिनांक 22.07.2023 को वह मय हमराही पुलिस कर्मचारीगण के थाना हाजा से बहवाले रपट नं०-31 समय 10:21 बजे वास्ते रोकथाम जुर्म जरायम, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन में चौकी मलकपुर में मामूर था। जैसे ही पुलिस बल गश्त करते हुए मलकपुर चौकी पर पहुँचकर बैरियर लगाकर चैकिंग करने लगा तो मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि- साहब मोटरसाईकिल पर सवार एक व्यक्ति छपरौली की तरफ से आ रहा है, उसके पास चोरी की मोटरसाईकिल है जल्दी की जाए तो वह पकडा जा सकता है। मुखबिर खास की बात पर विश्वास करके पुलिस वालें सतर्कता से बैरियर लगाकर चैकिंग करने लगे तभी मुखबिर खास ने छपरौली की ओर से आ रहें एक मोटरसाईकिल सवार की ओर इशारा कर बताया कि साहब जो मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति बिना हेलमेट लगाकर आ रहा है, यह वहीं व्यक्ति है जिसके पास चोरी की मोटरसाईकिल है और वह से चला गया। पुलिसवालों ने उक्त मोटरसाईकिल को नजदीक आने पर रुकने का इशारा किया तो मोटरसाईकिल सवार ने एक -दम

Digitally signed by MEENU SHARMA
Date: 2023.08.07 16:01:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मोटरसाईकिल को पीछे मुडने का प्रयास किया तभी पुलिसवालों ने सीखे हुए तरीकें से एक बारगी दबिश देकर बिना भागने का मौका देकर उक्त मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति को मय मोटरसाईकिल के मौके पर पकड़ा लिया। नाम व पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम लाला पुत्र रोहताश निवासी ग्राम -बडावद, थाना-बिनौली, जनपद -बागपत बताया। कड़ाई से पूछताछ करते हुए भागने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके पास यह चोरी की मोटरसाईकिल है जो उसने लोनी जनपद-गाजियाबाद से चुराई थी। पकडी गई मोटरसाईकिल हीरो स्पेलन्डर रंग काला के इंजन नंबर व चैसिस नंबर को ई-चालान ऐप पर डालकर चेक किया गया तथा मोटरसाईकिल पर पडे नंबर को चेक किया तो इंजन नंबर व चैसिस नंबर में भिन्नता पाई गई। उसने बताया कि उसने मोटरसाईकिल पर दूसरा इंजन बदल दिया है तथा मोटरसाईकिल के कागज दिखाने में कासिर रहा। अभियुक्त को उसके जुर्म धारा- 414, 420, 417 भा०दं०सं० से अवगत कराते हुए समय करीब 11:10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। फर्द मौके पर वादी द्वारा स्वयं लैपटॉप पर तैयार की गई तथा हैड कांस्टेबल 239 विपिन कुमार को पेनड्राइव में देकर चौकी मलकपुर पर रखे प्रिन्टर से प्रिन्ट निकलवा कर मंगवाया गया तथा सभी को पढकर व सुनाकर हमराही कर्मचारीगण अलामात बनवाए गए। गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर ही तैयार किया गया और गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के भाई कपिल को मोबाईल पर दी गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है ,उसको उक्त अपराध में केवल गांव की पार्टीबाजी के आधार पर झूठा फंसाया गया है , उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई धोखाधडी आदि नहीं की गयी है और ना ही उससे कोई चोरी की मोटरसाईकिल आदि बरामद हुई है। वह पूर्व में सजायफ्ता नहीं है। प्रार्थी /अभियुक्त दिनांक **22.07.2023** से जेल में निरुद्ध है। अतः प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उपलब्ध केस डायरी व पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त लाला पर चुराई गई मोटर साईकिल की बरामदगी का आरोप है, जिसका इंजन नम्बर गलत था। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनॉक 22/07/2023 से जेल में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त पर दो केसों- 1. मु०अ०सं०-430/23 व 2- मु०अ०सं०-514/23, अन्तर्गतधारा- 379 भा०दं०सं०, थाना बड़ौत, जिला बागपत का आपराधिक इतिहास होना दर्शाया गया है, परन्तु उक्त दोनों मामलों में से किसी भी मामले में प्रार्थी /अभियुक्त को दोषसिद्धि किया गया हो , ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का **प्रथम** जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थी/अभियुक्त **लाला** का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **अंकन 50,000/- रुपये** का निजी मुचलका व इतनी ही धनराशि के **दो** प्रतिभू पत्र एवं निम्नलिखित आशय की अण्डर टेकिंग **संबंधित न्यायालय** की संतुष्टि अनुसार दाखिल करने पर प्रार्थी/अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाये-

1- प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

2- प्रार्थी/अभियुक्त गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।

3- प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद आपराधिक गतिविधियों मे लिप्त नहीं होगा।

**मीनू शर्मा,**
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बागपत।